



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934

No. 254]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

सा.क्र.नि. 418(अ).—‘केन्द्रीय सरकार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियमावली, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्

1. (1) ये नियम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधित नियमावली, 2012 के नाम से अधिप्रेत होंगे।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम 1996 (इसके बाद कथित नियम के रूप में संदर्भित होगा) में नियम 3 के बाद नियम 3 के पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, जैसे:-
(3) “अधिनियम के तहत किसी आनुबंधिक क्लीनिक/अल्ट्रासार्ड क्लीनिक/इमेजिंग केन्द्र में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के पात्र प्रत्येक चिकित्सा व्यावसायी को जिले के अन्दर अधिकतम दो ऐसे

